आरक्षण

(A) **ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) :** बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों के पक्ष में क्रमशः 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत, 27 प्रतिशत व 10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना/शासनादेश के अनुसार देय होगा।

(B) **क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) :** शारीरिक रूप से दिव्यांग (न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता)/दृष्टिहीन अभ्यर्थियों हेतु समस्त प्रवेश सीटों का 03 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। इन अभ्यर्थियों को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र अपने पास सुरक्षित रखना होगा कि वह विकलांग की श्रेणी में आते हुए भी चर्म रोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं हैं जिसके कारण बच्चों के संक्रमण या उनके कक्षा–शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो। यह प्रमाण पत्र आवश्यकतानुसार माँगे जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 02 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। उ0प्र0 के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र–पुत्रियों को समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 05 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। महिलाओं के लिए समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

नोट :–

1. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/आर्थक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्त सीट रह जाती है तो उसी श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए दूसरा विशेष प्रवेश अभियान चलाया जाएगा।
2. यदि उक्त क्रम संख्या 01 में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान में अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति को अनूसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों से भरा जाएगा।
3. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ आर्थक रूप से कमजोर श्रेणी निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान के उपरान्त भी आरक्षित सीटों में से कोई सीट उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरे रह जाती है तो ऐसी रिक्ति को योग्यता के आधार पर किसी अन्य उपयुक्त अभ्यर्थी से नियमानुसार भरा जाएगा।
4. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ आर्थक रूप से कमजोर श्रेणी के किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में चयनित होता है और वह सामान्य अभ्यर्थी के रूप में बना रहना चाहता/चाहती है तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ आर्थक रूप से कमजोर श्रेणी के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

(C) **नेत्रहीन अभ्यर्थियों** को श्रुत लेखक (Writer) लाने की सुविधा अनुमन्य है। प्रतिबन्ध यह होगा कि श्रुत लेखक की वर्तमान शैक्षिक योग्यता कक्षा–12 अथवा इसके समकक्ष से अधिक न हो।

(D) **अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों** के लिए मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को अधिकतम 05 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जाएगा।

(E) **केवल उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले अभ्यर्थियों** को ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के समुदाय का लाभ अनुमन्य है। आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पिता के नाम के साथ ही होना मान्य होगा।

अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करने के पात्र होंगे। **विवाहित महिला अभ्यर्थियों का आय प्रमाण–पत्र पति के नाम पर निर्गत होना चाहिए।**

टिप्पणी : काउन्सलिंग के प्रारम्भ होने तक आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन/सरकार द्वारा जो भी शासनादेश/अधिसूचना निर्गत होंगे, उनके अनुसार ही आरक्षण (ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज) अनुमन्य होगा।

प्रवेश पत्र की प्रति

अभ्यर्थी अपना राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा बी0एड0 (द्विवर्षीय)–2019 का प्रवेश पत्र प्रवेश परीक्षा की तिथि के सात दिन पूर्व राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा बी0एड0 (द्विवर्षीय)–2019 की वेबसाइट www.mjpru.ac.in एवं www.upbed2019.in पर लॉगिन कर आपनी आवेदन पत्र की पंजीकरण संख्या देकर डाउनलोड कर सकता है।

अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को दो प्रतियों में मुद्रित (प्रिन्ट) कर लें व ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी ने जिस फोटोग्राफ को अपलोड किया है, उसी फोटोग्राफ को प्रवेश पत्र के प्रिन्टआउट में निर्धारित स्थान पर चिपकायें एवं निर्धारित स्थान पर अपना एवं अपने पिता/संरक्षक का हस्ताक्षर करवायें। अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपनी दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) का निशान लगायें। प्रवेश परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र की दो प्रतियाँ लानी हैं व एक प्रति परीक्षा कक्ष में कक्ष निरीक्षक महोदय को देनी है।